डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपजिला कलक्टर टोडाभीम

इजलास जगदीश आर्य आर.ए.एस.

उनवान

1 श्रीया

2 ग्यारसा पि. घीस्या जाति बैरवा, निवासी भैसीना तह0

3 पूरन

4 राजेन्द्र टोडाभीम जिला करौली राज.

5 रामस्वरूप पि. प्रभूदयाल

6 जीतू

7 विक्रम

8 मु. परभाती पत्नि स्व. प्रभूदयाल

बनाम

1 रामप्यारी पत्नि स्व. गंगासहाय जाति बैरवा, निवासी भैसीना

2 लालाराम पि. गंगासहाय

3 राजाराम तह0 टोडाभीम जिला करौली

4 तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली।

5 उपपंजीयक तह टोडाभीम जिला करौली।

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 101/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई हमारे व हाजिरी रामावतार शर्मा मिनकानिब गुदई रूबरू सुरेश चन्द शर्मा प्रतिवादीगण की ओर से मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि :–

आराजी ख0नं0 769/0.13, 770/0.11, 771/0.13, 772/0.15, 773/0.06, 774/0.02, 775/0.20, 776/0.31, 777/0.17 778/0.06, 779/0.05, 780/0.05, 781/0.04, 782/0.05, 783/0.01 784/0.01, 785/0.03, 814/0.26, 815/0.13, 816/0.03 817/0.29, 818/0.42

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

819/1466/0.08, 885/0.40, 886/0.01, 887/0.18 888/0.17, 889/0.01, 890/0.15, 891/0.15, 892/0.14 कुल किता 31 कुल रकबा 4.00है0 ग्राम भैसीना तह0 टोडाभीम जिला करौली में वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का 3/10 हिस्सा हजफ फरमाया जाकर वादी नं0 1, 2 व 3 प्रत्येक 1/10 हिस्से का वादीगण नं0 4 ता 8 बहिस्सा 1/10 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का 1/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष हिस्सा 1/2 पूर्वानुसार खातेदारान का रहेगा।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशहर .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहद अदालत के आज तारीख 08.01.2018 को जारी की गई।

उप जिला कलक्टर
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम

[मुद्द]ई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
[स्]टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
[स्]टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
[स्]टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
[मह]न्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
[ख]र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
[फी]स कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
[बाब]त् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
[मुत]फरिक					
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज कराना चाहिए।

उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 101 / 16

तारीख रजू :– 02.09.2016

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य

आर.ए.एस.

1 श्रीया

2 ग्यारसा पि. घीस्या जाति बैरवा, निवासी भैसीना तह0

3 पूरन

4 राजेन्द्र टोडाभीम जिला करौली राज.

5 रामस्वरूप पि. प्रभूदयाल

6 जीतू

7 विक्रम

8 मु. परभाती पत्नि स्व. प्रभूदयाल

बनाम

1 रामप्यारी पत्नि स्व. गंगासहाय जाति बैरवा, निवासी भैसीना

2 लालाराम पि. गंगासहाय

3 राजाराम तह0 टोडाभीम जिला करौली

4 तहसीलदार तह0 टोडाभीम जिला करौली।

5 उपपंजीयक तह टोडाभीम जिला करौली।

दावा बाबत् इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1 अभिभाषक वादीगण :– रामोतार शर्मा एडवोकेट

2 प्रतिवादी की ओर – सुरेश चन्द शर्मा

निर्णय दिनांक– 11.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0नं0 769 / 0.13, 770 / 0.11, 771 / 0.13, 772 / 0.15, 773 / 0.06, 774 / 0.02, 775 / 0.20, 776 / 0.31, 777 / 0.17 778 / 0.06, 779 / 0.05, 780 / 0.05, 781 / 0.04,

Scanned by CamScanner

782/0.05, 783/0.01 784/0.01, 785/0.03, 814/0.26, 815/0.13, 816/0.03, 817/0.29, 818/0.42 819/1466/0.08, 885/0.40, 886/0.01 887/0.18, 888/0.17, 889/0.01, 890/0.15, 891/0.15, 892/0.14 कुल किता 31 कुल रकबा 4.00है0 ग्राम मैसीना तह0 टोडाभीम जिला करौली में स्थित है। वाद पत्र सैटिलमैन्ट कर्मचारियो द्वारा दौराने सैटिलमैन्ट साबिक ख0नं. 160, 161/2, 161/1, 142/2, 150, 157 बनाकर कायम किये है। वाद पत्र दर्ज आराजीयात में वादी नं0 1, 2, 3 प्रत्येक 1/20 हिस्से का वादी नम्बर 4 ता 8 के पिता प्रभूदयाल पुत्र धीस्या 1/20 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 बहिस्सा 3/20 हिस्से की खातेदार में दर्ज है। शेष 1/2 हिस्से के अन्य सहखातेदारान है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही बुजुर्ग धीस्या की सन्ताने है। धीस्या के पॉच पुत्र गंगासहाय, प्रभूदयाल, श्रीया, ग्यारस्या, पूरन, गंगासहाय के रामप्यारी, लालाराम, राजाराम वारिस है तथा प्रभूदयाल के प्रभाती, राजेन्द्र, रामस्वरूप, जीतू, विकम है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही बुजुर्ग धीस्या के वारिसान है। धीस्या तथा अन्य द्वारा ग्राम पाटोली छोडकर समस्त चल अचल सम्पत्ति बेचरक उक्त आराजीयात कय की थी। तथा अपनी सम्पूर्ण विकय राशि से उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 वाद पत्र के साबिक खसरा नम्बर 141/2, 150, 160, 161/1, 161/2, 157 में 1/4 हिस्सा स्वयं के नाम 1/4 हिस्सा अपने बडे पुत्र गंगासहाय के नाम रजिस्ट्री करवायी तथा शेष 1/2 हिस्सा मूल्या गंगाधर के नाम रजिस्ट्री करवायी। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बरान को खरीदते समय वादीगण के पिता व पति गंगासहाय तथा प्रतिवादी नं0 4 ता 8 के पिता व पति प्रभूदयाल तथा वादी नम्बर 1 ता 3, श्रीया, ग्यारसा, पूरन पि. धीस्या शामिल में रहते थे तथा संयुक्त परिवार में रहते हुए उक्त आराजी खरीद की थी तथा विकय पत्र वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के बुजुर्ग धीस्या के नाम प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के पिता व पति के नाम करवाली। धीस्या व गंगासहाय के नाम करायी भूमि को धीस्या द्वारा 5 हिस्सो में बांटकर पॉच भाईयो को अपने जीते जी संभला दी थी। तथा पॉचो बराबर बराबर हिस्सो पर काबिज थे। आराजीयात विवादग्रस्त में वादी नं0 1, 2, 3

Scanned by CamScanner

प्रत्येक बहिस्सा 1/10 वादी नं0 4 ता 8 बहिस्सा 1/10 तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 बहिस्सा 1/10 के खातेदार काश्तकार है। तथा आराजी पर इसी प्रकार काबिज एवं दखील है। तथा बिना किसी विघ्न बाधा के बिना किसी रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। तथा आज भी कर रहे है। घीस्या व गंगासहाय के जीते जी किसी भी प्रकार का विवाद नही था और ना ही काबिज काश्त बहिस्सा बराबर पर कोई विवाद है लेकिन गंगासहाय की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 के नाम आ गयी है तथा प्रतिवादी के नाम ज्यादा भूमि खातेदारी होने के कारण उनके मन में लालच उत्पन्न हो गया है तथा प्रतिवादी नं0 2, 3 गलत संगत में पड गये है। तथा आराजी को बेचान करने पर आमादा है। वाका दिनांक 20.08.2016 को सुबह करीब 9 बजे का हैं कि प्रतिवादी नं0 2 आया तथा नशे में कहने लगा कि तुम उक्त आराजी से अपना कब्जा हटालो इसे मैं बेच रहा हूँ। इस पर वादीगण द्वारा उन्हे समझाया कि उक्त आराजी उपर हम अपने अपने हिस्सेनुसार बराबर बराबर काबिज है। जितनी जमीन तुम्हारे पास है। उतनी हमारे पास भी है। तुम बेवजह हमें क्यो परेशान करते हो। इतना सुनते ही प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हम तो उक्त आराजी को बेचान करके रहेगे तथा तुम्हे बेदखल करके कब्जा करायेगे इस पर वादीगण द्वारा समाज के लोगो को एकत्रित कर प्रतिवादीगण को समझाया तथा समझवाया लेकिन वे किसी की एक मानने को तैयार नही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो तथा आराजी को बेचान कर दिया तो वादीगण को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य में भी संभव नही हो सकेगी। इसलिये वादीगण के नाम खातेदारी कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबंद फरमाया जावे। दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुये, प्रतिवादी नं0 1 ता 3 की ओर से इकबाली जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दावा डिक्री करने में कोई एतराज नही होना अंकित किया तथा विशेष विवरण में अंकित किया कि आराजी विवादग्रस्त में प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का 1/20 हिस्सा है। रिकार्ड में

प्रतिवादीगण के नाम जो 3/20 हिस्सा है। उसे 1/20 हिस्से में करने में कोई परेशानी नही है। हम सभी धीस्या के वारिस है तथा धीस्या की जमीन पर धीस्या के पॉचो पुत्रो का बराबर बराबर हिस्सा है। उभय पक्षकारान ने राजीनामा प्रस्तुत किया। जो अदालत में तस्दीक किया गया। पत्रांवली आज न्याय आपके द्वारा गॉव भनकपुरा में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा उन्होने मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। मैने पत्रांवली में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा राजीनामा का अवलोकन किया। मौके पर उपस्थित लोगो से जानकारी प्राप्त की। मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री होने योग्य प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि आराजी ख0नं0 769/0.13, 770/0.11, 771/0.13, 772/0.15, 773/0.06, 774/0.02, 775/0.20, 776/0.31, 777/0.17 778/0.06, 779/0.05, 780/0.05, 781/0.04, 782/0.05, 783/0.01 784/0.01, 785/0.03, 814/0.26, 815/0.13, 816/0.03 817/0.29, 818/0.42 819/1466/0.08, 885/0.40, 886/0.01, 887/0.18 888/0.17, 889/0.01, 890/0.15, 891/0.15, 892/0.14 कुल किता 31 कुल रकबा 4.00है0 ग्राम भैसीना तह0 टोडाभीम जिला करौली में वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का 3/10 हिस्सा हजफ फरमाया जाकर वादी नं0 1, 2 व 3 प्रत्येक 1/10 हिस्से का वादीगण नं0 4 ता 8 बहिस्सा 1/10 हिस्से का तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का 1/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष हिस्सा 1/2 पूर्वानुसार खातेदारान का रहेगा। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

Scanned by CamScanner